COURT FEE — CANCELLED — CANCELLED

277

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,ग्वालियर

R-2254-I-16

1. अजीज कुरैशी आत्मज श्री शमशुद्दीन कुरैशी हाल मुकाम बहोरीपार (कला) तहसील व जिला नरसिंहपुर
2. साबिर खान आत्मज जाहिद खान,अध्यक्ष–अलमेहमूद मस्जिद बहोरीपारकला तहसील व जिला नरसिंहपुर...... ....रिवीजनकर्ता

बनाम

शंकरलाल आत्मज देवीसिंह मेहरा निवासी ग्राम श्यामखेड़ा तहसील व जिला नरसिंहपुर.. ....उत्तरवादी

(134)

गयास कुरैशी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 16 JUN 2016 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.1959

रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजनकर्ता,रा.मा. क्रं.2अ/70 वर्ष 15–16,मौजा श्यामखेड़ा न.बं. 546,प.ह.नं.61 तहसील व जिला नरसिंहपुर आवेदक शंकरलाल के द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रकरण धारा–250 म.प्र.भू.रां.सं. के प्रकरण में न्यायालय नायब तसहीलदार महोदय नरसिंहपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.3.2016 से पीड़ित होकर,निम्न आधारों व मुद्धों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करते है :–

नोट :– रिवीजनकर्तागण के द्वारा अज्ञानतावश पूर्व में उक्त आदेश दिनांक 5.3.2016 के विरूद्ध श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर की न्यायालय में रिवीजन पेश की थी,जिसे कि श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.5.2016 के जरिये रिवीजनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत रिवीजन क्षेत्राधिकार न होने की वजह से खारिज कर दी गयी है,इससे रिवीजनकर्ता तहसीलदार नरसिंहपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.3.2016 के विरूद्ध समयावधि में यह रिवीजन मान्य महोदय के समक्ष पेश नहीं कर सका है,अतः कलेक्टर महोदय के समक्ष चले प्रकरण की समयावधि माफ की जाकर यह रिवीजन को अभिलेख में लिया जाकर उसका गुणदोषों के आधार पर निराकरण करने की कृपा की जावे।

1. यह कि उत्तरवादी शंकरलाल मेहरा के द्वारा अपनी मौजा श्यामखेड़ा न.बं. 546,प.ह.नं.61 तहसील व जिला नरसिंहपुर के खसरा नंबर 47/2,47/2, 48 कुल रकवा 1.825 हे.भूमि पैमाईस,पैमाईस अधिकारी/पैमाईस टीम से मिलजुलकर एवं इन रिवीजनकर्तागण को पैमाईस की कोई सूचना दिये बगैर,अपने माफिक पैमाईस कराकर फील्डबुक, नक्शा, प्रतिवेदन, पंचनामा तैयार करायी गयी थी,उक्त त्रुटीपूर्ण तरीके से की गयी पैमाईस में पैमाईस अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उत्तरवादी की भूमि 47/1, 47/2, 48 रकवा 1.825 हे.भूमि में से रकवा 0.140 हे. पर इस रिवीजनकर्ता क्रं.2 की मृत मां महमूदा बेगम आ.अहमद अली का अवैध कब्जा होना बतलाया एवं उक्त भूमि मे से 0.400 हे.भूमि पर श्री बाबूखां आ. बाहद अली का अवैध कब्जा होना एवं उक्त भूमि मे से रकवा 0.100 हे.भूमि पर श्री छोटेलाल आ. गुलाब का कब्जा होना बतलाया था एवं उक्त त्रुटीपूर्ण तरीके से की गयी पैमाईस व त्रुटीपूर्ण तरीके से तैयार किए गए प्रतिवेदन, फील्डबुक,नक्शा,पंचनामा के आधार पर उत्तरवादी शंकरलाल मेहरा के द्वारा इन रिवीजनकर्तागण को भूमि पर से बेदखल किए जाने हेतु अधीनस्त न्यायालय के समक्ष इन रिवीजनकर्ता के विरूद्ध धारा 250 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की गयी थी,उक्त कार्यवाही करने पर इन रिवीजनकर्तागण को प्रथम बार उत्तरवादी के द्वारा उक्त त्रुटीपूर्ण तरीके से करायी गयी पैमाईस की

R 2254/16 [illegible]

		आदेश के हस्ताक्षर
26.10.16.	[illegible] आवेदक को आज अ- 1 की सूचना देने के पश्चात भी 2254 की याचिका आवेदन प्रस्तुत करने की पूर्व में तिथि पर आवेदक उपस्थित नहीं रहा उसके बाद आज दिनांक तक आवेदक उपस्थित नहीं हुआ अतः आदेशों की पालना न करने के फलस्वरूप प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल हो। [signature] [illegible]	

R/15x